अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2020/228 RTA धन्नी V/s अल्लादिन

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2020/ 50208 श्री सूरजसिंह चौहान श्री महेश सिंह	

धन्नी बनाम अल्लादीन (2020 / 208)

5/6/25

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 व धारा 151 जा0दी0 करने विड्रो अपील पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील की वादग्रस्त भूमियों के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 के मध्य राजीनामा इस शर्त पर हुआ है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 275 से 277 व 283 एवं 284, 290, 294, 296, 293 कुल रकबा 2.5414 हैक्टर में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 04 का 3/52 हिस्सा व खसरा संख्या 288, 289, 292 रकबा 1.0522 हैक्टेयर है जिसमें से उपरोक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 3/12 हिस्सा चला आता है। यह कि उपरोक्त भूमियों मेंसे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 उक्त अपील के निस्तारण के पश्चात 60 दिवस के भीतर एक बीघा भूमि का बेचाननामा अपीलांट के हीरा के नाम निष्पादित करवा उसका पंजीयन करवा देंगे। व यदि उक्त अवधि में उपरोक्त रेस्पोडेन्ट, अपीलांट हीरा के हक में एक बीघा भूमि का बेचाननामा निष्पादित नहीं करवाते है तो अपीलांटस उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिखवाकर उचित कार्यवाही कर सकेंगे। यह कि उपरोक्तानुसार उक्त अपील के खसरा संख्या 444 में से अपीलांट तीन बिस्वा दस बिस्वांसी भूमि अपीलांटस अपने नाम की खातेदारी करवाने की उचित कानूनी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में करवाने के अधिकार सुरक्षित रखते हुए। यह मूल काउन्टर अपील को लोक अदालत की भावना से विड्रो करवा खारिज करवाना चाहते है। तरमीम भी करवायेंगे। अतः श्रीमान से जरिये अपीलांटस व जरिये अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस के विधिक अधिकार सुरक्षित रखते हुए विड्रो कर खारिज करने के आदेश प्रदान करावें। अपीलांट हीरा पुत्र रहमान, प्रेम सिंह पु छोटु, मनोहरसिंह पुत्र हजारी स्वयं उपस्थित हुए तथा आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री सूरजसिंह चौहान द्वारा की गई। शेष अपीलांटस की ओर से उनके अभिभाषक श्री सूरजसिंह चौहान ने अपील को विड्रो किये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है और अपील को इसी स्तर पर विड्रो करवाना चाहता है। अतः अपीलांटस को सशर्त अपील विड्रो किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर अभिभाषक अपीलांटस एवं अपीलांटस द्वारा अपील को आगे नहीं चलाये जाने से अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने की शर्त पर विड्रो किये जाने की अनुमति दी जाकर अपील विड्रो किये जाने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हीरा
प्रेम सिंह
मनोहर
Identified by
सूरजसिंह

अल्लादीन
Identified by

Scanned with CamScanner